संख्या-2/2018/आ0मि0-298/96-आयुष-2-2017-108/2014 टी0सी-।

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी,
लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2018

विषय- राज्य आयुष मिशन के 02 नबीउल्लाह मार्ग स्थित कार्यालय के सुदृढीकरण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-395/18/मि0नि0/2017-18 दिनांक 18-12-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-4/20172/238/71-आयुष-2-2017-108/2014 टी0सी0-1, दिनॉक 28 मार्च, 2017 द्वारा राज्य आयुष मिशन के 02 नबीउल्लाह रोड स्थित कार्यालय के सुदृढीकरण हेतु रू0 75.35 लाख (रू0 पच्हत्तर लाख पैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 37.675 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था द्वारा शत प्रतिशत धनराशि व्यय कर ली गयी है। अत: वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 03.08.2017 के अन्तर्गत अवशेष रू0 37.675 लाख की धनराशि आपके निवर्तन पर राज्य आयुष सोसाइटी के बचत बैंक खाते में रखी धनराशि में से अवशेष रू0 37.675 लाख की धनराशि व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
4- वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 03-08-2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से मिशन निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- प्रश्नगत स्वीकृति इस शर्त के अधीन की जा रही है कि इस परियोजना पर आगामी स्वीकृति तभी प्रदान की जाएगी, जब इस धनराशि एवं पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।

7- प्रश्नगत कार्य में सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन मिशन निदेशक द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय राज्य आयुष सोसाइटी के बचत खाते में मिशन निदेशक राज्य आयुष सोसाइटी के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनॉक 03.08.2017 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव

संख्या:-2/2018/आ0मि0-298(1)/96-आयुष-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ
5- वित्त प्रबन्धक, राज्य आयुष सोसाइटी उ0प्र0 लखनऊ।
6- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ द्वारा मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।